

न्यूनतम वेतन नीति और गगि श्रमिक

प्रलिस के लयि:

न्यूनतम वेतन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बगिबासकेट, फ्लपिकार्ट, शहरी कंपनी, उचति वेतन, उचति शर्तें, उचति अनुबंध, नषिपक्ष प्रबंधन, उचति प्रतनिधित्व

मेन्स के लयि:

समावेशी वृद्धि एवं वकिस को बढ़ावा देने में न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता और महत्त्व

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

फेयरवर्क इंडिया द्वारा 12 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आयोजित 5वाँ वार्षिक अध्ययन **भारत के गगि श्रमिकों** के कार्य करने की स्थिति की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

- फेयरवर्क, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के IT और सार्वजनिक नीति केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम है।
- अध्ययन में उचति वेतन, उचति शर्तें, उचति अनुबंध, नषिपक्ष प्रबंधन और उचति प्रतनिधित्व जैसे पाँच फेयरवर्क सदिधातों की जाँच की गई।

अध्ययन के मुख्य तथ्य:

- **न्यूनतम वेतन और श्रमिक अलगाव:**
 - अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि बगिबासकेट, फ्लपिकार्ट और अरबन कंपनी सहित केवल तीन प्लेटफॉर्मों के पास न्यूनतम वेतन नीतियाँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि श्रमिक स्थानीय न्यूनतम वेतन अर्जति सकें।
 - हालाँकि कोई भी मंच इस बात की गारंटी नहीं देता है कि श्रमिक जीवनयापन योग्य वेतन अर्जति कर सकें। इस वर्ष का अध्ययन यह जानने में मदद करता है कि काम करने की स्थितियाँ अलगाव में किस प्रकार योगदान करती हैं, जो प्रायः जाति, वर्ग, लिंग और धर्म जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव से संबद्ध होता है।
- **सुरक्षा, अनुबंध स्पष्टता और करमचारी सुरक्षा:**
 - कुछ प्लेटफॉर्म दुर्घटना बीमा कवरेज और दुर्घटनाओं या चिकित्सा कारणों से आयु हानि के लिये मुआवजे की पेशकश भी करते हैं।
 - इसके अतिरिक्त कंपनियों ने अनुबंध की स्पष्टता, डेटा सुरक्षा और करमचारी मुद्दों से निपटने की प्रक्रियाओं जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ अपील करने के लिये उपाय सुनिश्चित किये हैं।
 - दुर्भाग्यवश, **किसी भी मंच को नषिपक्ष प्रतनिधित्व के लिये अंक नहीं मिले**, जो हाल के वर्षों में श्रमिक सामूहिकता में वृद्धि के बावजूद सामूहिक कार्यकर्ता नकियों के लिये मान्यता की कमी को दर्शाता है।

भारत में गगि अर्थव्यवस्था परदृश्य:

- **परभाषा:**
 - गगि अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार को संदर्भित करती है जो स्थायी रोजगार के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस कार्यों और अस्थायी पदों की व्यापकता की विशेषता है।
 - गगि अर्थव्यवस्था में व्यक्तिप्राय एक ही कंपनी के पारंपरिक पूर्णकालिक करमचारी होने के बजाय विभिन्न "गगि" या कार्यों को लेकर प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट आधार पर कार्य करते हैं।
- **वकिस परदृश्य:**
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत फ्लेक्सी स्टाफिंग या गगि वर्कर के लिये विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक बनकर उभरा है।


- नीति आयोग की रपिर्ट के अनुसार, गगि अरथव्यवस्था में लगभग 7.7 मलियन करमचारी कारयरत हैं, जनिकी संख्या वर 2029-30 तक बढकर 23.5 मलियन होने की उम्मीद है, जो देश में कुल आजीविका का लगभग 4% हसिसा है।
- वर्तमान में कुल गगि कार्यों का लगभग 31% न्यून कुशलता वाले रोजगार जैसे- कैब डराइवगि और खाद्य वतिरण के क्षेत्र में, 47% मध्यम-कुशलता वाले रोजगार जैसे- प्लंबगि तथा सौंदर्य सेवाओं में और 22% उच्च कुशलता रोजगार जैसे ग्राफकि डज़ाइनगि एवं ट्युशन में हैं।

■ गगि श्रमकियों के समकष परमुख मुददे:

- गगि श्रमकियों को अकसर उनकी असपष्ट रोजगार स्थतिके कारण सामाजकि सुरक्षा और श्रम कानून से बाहर रखा जाता है।
- सामाजकि सुरक्षा और अन्य बुनयादी श्रम अधिकार जैसे न्यूनतम वेतन, कारय के घंटों की सीमा आदि "करमचारी" की स्थतिके पर नरिभर करते हैं, गगि श्रमकियों के लयि स्वतंत्र ठेकेदारी स्थतिके उनहें ऐसे लाभ एवं कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने से बाहर रखती है।
- दवियांगता या श्रमकि की मृत्यु की स्थतिके में सामाजकि सुरक्षा पात्र व्यक्तियों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करती है। गगि श्रमकियों के मामले में इन लाभों का कम कवरेज हो सकता है, जो चुनौतीपूर्ण परस्थितियों में उनकी वतिकीय सुरक्षा को प्रभावति कर सकता है।

■ सरकार की पहल:

- सामाजकि सुरक्षा संहति (2020) में 'गगि अरथव्यवस्था' पर एक अलग खंड शामिल है और गगि नयिकताओं को सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा संभाले जाने वाले सामाजकि सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायतिव दिया गया है।
- वेतन संहति, 2019 गगि श्रमकियों सहति संगठति एवं असंगठति क्षेत्रों में सार्वभौमकि न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करती है।



भारत की न्यूनतम वेतन नीति:

■ वेतन संहति अधनियम 2019:

- संहति का उद्देश्य पुराने और अप्रचलति श्रम कानूनों को अधिकि जवाबदेह और पारदर्शी कानूनों में बदलना तथा देश में न्यूनतम मज़दूरी एवं श्रम सुधारों की शुरुआत के लयि मार्ग प्रशस्त करना है।
- वेतन संहति सभी करमचारियों के लयि न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमकि बनाती है तथा प्रत्येक करमचारी के लयि "नरिवाह का अधिकार" सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, साथ ही न्यूनतम मज़दूरी के वधियाी संरक्षण को भी मज़बूत करती है।
- केंद्र सरकार को श्रमकियों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज (Floor Wage) नरिधारति करने का अधिकार है। यह वभिनिन भौगोलकि क्षेत्रों के लयि अलग-अलग फ्लोर वेज नरिधारति कर सकती है।
 - केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा श्रमकियों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी, नरिधारति फ्लोर वेज से अधिकि होनी चाहति है।

■ फ्लोर वेज का नरिधारण:

- वेतन नयिम संहति, 2020 में फ्लोर वेज की अवधारणा का उल्लेख कयिा गया है, जो केंद्र सरकार को श्रमकियों के न्यूनतम जीवन स्तर

को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज निर्धारित करने का अधिकार देती है।

- फ्लोर वेज एक बेसलाइन वेज है जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम मज़दूरी तय नहीं कर सकती हैं।
- वेतन संहिता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग फ्लोर वेज निर्धारण की अनुमति देती है। हालाँकि इससे उन क्षेत्रों से पूंजी के पलायन का भय उत्पन्न हो गया है जहाँ मज़दूरी अधिक है और उन क्षेत्रों की ओर जहाँ मज़दूरी कम है।

आगे की राह

- **श्रमिक वर्गीकरण:** गगि श्रमिकों (जैसे, स्वतंत्र ठेकेदार तथा कर्मचारी) के वर्गीकरण के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश परमिषति करना ताकयिह सुनिश्चित कयिा जा सके कि उन्हें उचित कानूनी सुरक्षा और लाभ प्राप्त हों। इस मुद्दे को हल करने के लिये भारत के श्रम कानून विकसित हो रहे हैं और गगि श्रमिकों तथा सामान्य कर्मचारियों के बीच अंतर एक महत्त्वपूर्ण विचार है।
- **सामाजिक सुरक्षा और लाभ:** संभावित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रणाली के माध्यम से गगि श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बिचत, स्वास्थ्य बीमा और बेरोज़गारी मुआवज़ा तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्रदान करने के विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है।
- **पारिश्रमिक सुरक्षा:** गगि श्रमिकों को उचित मुआवज़ा प्रदान करने की गारंटी सुनिश्चित करने हेतु एक सुव्यवस्थित तंत्र लागू करना चाहिये तथा उनके शोषण को रोकने के लिये विशेष कार्यों के लिये न्यूनतम वेतन मानक या फ्लोर वेज निर्धारित करने पर विचार कयिा जाना चाहिये।
- **कौशल विकास:** गगि श्रमिकों की रोज़गार क्षमता और आय की क्षमता को बढ़ाने के लिये निरंतर कौशल विकास एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कयिा जाना चाहिये। सरकार और उद्योग की भागीदारी गगि इकोनमी की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में मदद कर सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में नमिनलिखित में कौन एक, उन फ़ैक्ट्रियों में जनिके कामगार नयुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छूटनी और कामबंदी के वषिय में सूचनाओं को संकलित करता है। (2022)

- (a) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- (b) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- (c) श्रम ब्यूरो
- (d) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली

उत्तर: (c)

?????????:

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गगि इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021)